



MPS INTERNATIONAL SCHOOL

(AFFILIATED TO CBSE - 531208)

JAWAN-PALWAL ROAD, VPO JAWAN, BALLABGARH (FBD)

Mob. : 9813148437, 9891881888

Date : 24-5-2020

Dear Parents,

This is to inform you that according to Haryana Govt. guidelines you have to pay only the tuition fees of your ward on monthly basis during the lockdown. No extra charge (eg:- Admission fees, Annual Charge or any other charge) need to pay.

Letter regarding same received from government is also attached with this letter. Still if you need any clarification kindly contact school administration for the same.

Principal
M.P.S. International School
Vill. Jawan, Ballabgarh

Principal

MPS INTERNATIONAL SCHOOL, JAWAN



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Secondary Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विवास
 Education, Culture and Development
 School Education - Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी
 जिला शिक्षा अधिकारी तथा
 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 8/27-2013 पी0एस0 (2)
 दिनांक, पंचकुला: 22/5/2020

विषय:- कोविड -19 के दृष्टिगत निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करने बारे।


उपरोक्त विषय पर कार्यालय आदेश दिनांक 12.04.2020, 23.04.2020 तथा 08.05.2020 की निरंतरता में।

कोविड-19 के मध्यनजर उपरोक्त संदर्भित पत्रों के तहत निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले मासिक शुल्क/ट्यूशन फीस के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन पत्रों की निरन्तरता में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के निजी विद्यालयों में इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

1. निजी विद्यालय मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फण्ड जैसे बिल्डिंग फण्ड, रखरखाव फण्ड, प्रवेश शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 जैसी असामान्य स्थिति के दृष्टिगत स्थगित कर दिए जाए।
2. यदि कोई अभिभावक मास अप्रैल तथा मई, 2020 की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा लाकडॉउन के मध्यनजर इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए। इस स्थगित किए जाने वाली अप्रैल और मई, 2020 (दो मास) की बकाया ट्यूशन फीस को आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करवा लिया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी अभिभावक जो मासिक ट्यूशन फीस जमा करवाने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जिनके द्वारा ट्यूशन फीस स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया उनसे मासिक आधार पर ट्यूशन फीस जमा करवा ली जाए।
3. निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी विद्यार्थी पूर्व वर्षों की भांति मासिक आधार पर मास जून 2020 से नियमित रूप से ट्यूशन फीस जमा करवाएंगें।
4. निजी विद्यालय मासिक आधार पर ली जानी वाली ट्यूशन फीस में किसी प्रकार की वृद्धि न करें।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी विद्यालय मासिक शुल्क में किसी प्रकार का hidden charge न जोड़ें।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाकडॉउन की अवधि के दौरान कोई भी निजी विद्यालय छात्रों/अभिभावकों से किसी प्रकार का यातायात शुल्क नहीं लेगा।
7. कोई भी निजी विद्यालय इस वर्ष स्कूल यूनिफार्म में किसी प्रकार का बदलाव न करे।
8. कोई भी निजी विद्यालय पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल इत्यादि में बदलाव न करे।

अतः उपरोक्त हिदायतों का सख्ती से पालन करवाया जाए।



 उप अधीक्षक पी०एस०
 कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा
 हरियाणा पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम:

दिनांक, पंचकूला 22/5/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिलों में उपरोक्त आदेशों की पालना हेतु निवेदनार्थ।
2. वरिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा।
3. वरिष्ठ सचिव, शिक्षामंत्री हरियाणा।
4. वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव हरियाणा।
5. वरिष्ठ सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।
6. निजी सचिव, महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
7. निजी सहायक, निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।


 उप अधीक्षक पी०एस०
 कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा
 हरियाणा पंचकूला।